समाहरणालय, गढ़वा

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत नियुक्ति संबंधी

विज्ञापन संख्या–01 / 2025

सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना सं0–1016, दिनांक–01.03.2017 एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2300(अनु0) राँची दिनांक–23.06.2022 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तरीय लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रखण्ड समन्वयक तथा लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। विवरणी निम्नवत् है–

I. रिक्ति की विवरणी:–

	क्र0	पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल पद
जिला स्तर	1	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	—	—	—	—	—	1
प्रखण्ड स्तर	1	प्रखण्ड समन्वयक	3	2	2	—	1	1	9
	2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	2	—	1	1	—	1	5

II. नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवाशर्तः–

A. जिला स्तर परः–

क्र0	पद का नाम	उम्र सीमा	मासिक मानदेय राशि	शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	18–30 वर्ष	15000 / –	मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 01 वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

B. प्रखण्ड स्तर परः–

क्र0	पद का नाम	उम्र सीमा	मासिक मानदेय राशि	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	22–45	18000 / –	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट / को ऑपरेटिव मैनेजमेंट / सोशल वर्क

		वर्ष		में स्नातक उत्तीर्ण एवं कम से कम 01 वर्ष का कार्यानुभव। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 01 वर्ष का कार्यानुभव। * उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को ऑपरेटिव मैनेंजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी।
	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	18–30 वर्ष	10000/–	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. **उम्र सीमा:**– उम्र की गणना 01.01.2025 के आधार पर की जायेगी।
3. **आरक्षण रोस्टर:**– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1617 दिनांक–17.03.2023 के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

क. आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों हेतु स्थायी निवास प्रमाण पत्र कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650 दिनांक–02.06.2016 एवं पत्रांक–5752 दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

ख. अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ावर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जो आरक्षण का दावा करते है उनके द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 एवं पत्रांक–156 दिनांक–06.01.2017 द्वारा तत्समय प्रवृत निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

ग. निःशक्त श्रेणी के आवेदकों एवं महिला आवेदक का आरक्षण राज्य के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4. **नियुक्ति प्रक्रिया:**– नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।
5. **मेधा सूची–**

   I. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहां आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

II. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

III. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

IV. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों पर 01 साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगें।

V. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. मुल्यांकन–

I. आवेदक का मुल्यांकन 100 अंको पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगाः–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता जाँच		कुल योग
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 04 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंको में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगें।

IV. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

7. सेवा शर्त–

I. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

II. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य अंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

III. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

IV. संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

V. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

VI. पदाधिकारी/कर्मी को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इन्टरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

VII. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

VIII. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मी को देय होगा।

IX. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

8. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया–** इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार दिनांक–27.06.2025 से 12.07.2025 तक विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है तथा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

9. ऑफलाईन या किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन तथा आवेदन से संबंधित कागजात किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10. आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए उन्हे पदवार अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

11. ऑनलाईन आवेदन में (क) सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र (ख) अंक पत्र (ग) अनुभव प्रमाण–पत्र (घ) जाति प्रमाण–पत्र (ड.) निवास प्रमाण–पत्र (च) जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र (छ) आय प्रमाण पत्र एवं(ज) अन्य प्रमाण–पत्र दस्तावेज को अपलोड करना आवश्यक होगा।

12. विभागीय पोर्टल पर दिये गये फाईल साईज के अनुसार ही फोटो, प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे।

13. फाईल साईज से कम साईज में फोटो, प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने पर या स्पष्ट नहीं होने पर अपठनीय स्थिति में प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु तैयार प्रारंभिक मेधा सूची के आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति में निहित होगा।

16. विज्ञापन में किसी भी कारणवश आंशिक संशोधन या इसे पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

ह0/–
उपायुक्त,
गढ़वा

ज्ञापांक 693 / डी.आर.डी.बी, दिनांक 23.06.2025

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन को गढ़वा जिला के वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उक्त विज्ञापन को http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर अपलोड़ कराया जाय। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जाय।

उपायुक्त,
गढ़वा

आवेदन कैसे करे:–

क) आवेदक के द्वारा दिनांक 27.06.2025 से 12.07.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट http://applyrdd.jharkhand.gov.In पर केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा–

1. स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो।
2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक–पत्र।
3. मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र।
4. आरक्षण का दावा करनेवाले आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण–पत्र।
6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र।
7. जन्मतिथि के लिए मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र।
8. सभी अपलोड किये जानेवाले प्रमाण–पत्र पठनीय होना चाहिए। अपठनीय होने की स्थिति में संलग्न प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. जिन आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में Grade/CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो, उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अन्तरण कराकर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। वैसे आवेदक जिनका 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोतर का एकीकृत (Intergated) अंक पत्र हो, उन्हे संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोतर का पृथक अंक पत्र/प्रतिशत का प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

ग) अहर्त्ता के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी का पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।

घ) निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

ड०) आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

उपायुक्त,
गढ़वा